



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ20004

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र  
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura Industrial Area  
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

संख्या : RAJ/NGR-12/LST-4 Vol-II

दिनांक : 13.01.2021

प्रेषित : खान एजेंट, राजश्री II चूना पत्थर खान,  
मेसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट-बिरला वाइट),  
डी-7, शास्त्री नगर, जोधपुर (राजस्थान), 342 003  
Email- krishan.singh@adityabirla.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Rajshree II Limestone Mine** (Lease area 400.07 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 11.12.2020 by the undersigned in presence of Sh. K.P.Singh, Sr.GM(Mines)

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 31.01.2019) for the year 2019-20: - 1) During the year 2019-20, exploration was proposed by drilling of 04 bore holes (320m) but no such drilling has been carried out. 2) During the year 2019-20 total 1441m retaining wall & 792m ground drain proposed but during the year only 390m ground drain made.
Rule 13(2)	The benches in overburden were not kept sufficiently in advance so that their workings do not interfere with the working of ore or minerals.
26 (2)	A yearly PMCP report for the year 2019-20 submitted vide your letter dated 06.06.2020 which was received in this office on 17.06.2020. The submitted PMCP report is not as per the format.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय  
13/01/2021  
( डी. आर. गुर्जर )

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, गोटन जिला-नागौर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो